प्रेस नोट दिनांक 12.02.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 12.02.2026
थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की हीरो होन्डा HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद हीरो होन्डा HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद-

अभियुक्त को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत महिमापुर नहर पीपल के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।
दिनांक-31.01.2026 को वादी निवासी ग्राम हर्षपुर असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ अपनी मोटरसाइकिल हीरो होंडा HF डीलक्स संख्या UP72AU0262 से प्रयाग नर्सिंग होम, लालगंज दवा लेने गए थे। अस्पताल के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर अंदर चले गए। वापस आने पर उनकी मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई थी।। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में दिनांक 11.02.2026 को मु0अ0स0 46/26 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का नीरज कुमार, का० आलोक यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 46/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त, संजय वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा निवासी ग्राम गोठवा पचखरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष को चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो होन्डा HF डीलक्स के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत महिमापुर नहर पीपल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो होन्डा HF डीलक्स बरामद की गई, उक्त बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया गया कि बरामद मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे उसने लगभग 10–12 दिन पूर्व प्रयाग नर्सिंग अस्पताल, लालगंज के पास से चोरी किया था। अभियुक्त के अनुसार वह उक्त मोटरसाइकिल को बेचने हेतु ग्राहक की तलाश में था, कि आप लोगो ने पकड लिया।

बरामदगी- 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल हीरो होन्डा HF डीलक्स नं0 UP72AU0262।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. संजय वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा निवासी ग्राम गोठवा पचखरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 40 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का नीरज कुमार, का० आलोक यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.02.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

टप्पेबाजी/धोखाधड़ी की घटना का सफल अनावरण, ₹36,000 की ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 अदद पासबुक सेन्ट्रल बैंक, कागज के फर्जी नोट, व टप्पेबाजी के 6120/- रुपये नगद बरामद-

अभियुक्त को थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आमापुर बेर्रा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 04.02.2026 को वादी द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रानीगंज शाखा से ₹50,000 निकालकर घर जाते समय रानीगंज चौराहे पर एक अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर विश्वास में लेकर वादी से ₹36,000 प्राप्त कर लिया तथा बदले में थैली में नकली कागज के नोट देकर फरार हो गया। उक्त के संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 47/26 धारा 304(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह कां0 विकाश बाबू, का0 सलोने, का0 मुकेश कुमार, का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 47/26 धारा 304 (2) बी0एन0एस0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, 01 राजनारायण उर्फ बुद्ध पुत्र स्व० महंगू राम निवासी धनीपुर थाना बरसठी जनपद जौनपुर उम्र करीब 48 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत आमापुर बेर्रा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद पासबुक सेन्ट्रल बैंक, कागज के फर्जी नोट, व टप्पेबाजी के 6120/- रुपये की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने बताया कि यह वही पास बुक व पैसा है जो मैने रानीगंज मे जामताली मोड रानीगंज चौराहे पर अपने साथी के साथ मिलकर एक व्यक्ति के साथ टप्पेबाजी की थी। तथा कागज की फर्जी नोट के बारे मे पूछने पर बता रहा है कि यह वही नोट है जिससे हम लोग लोगो को बेवकूफ बनाकर विश्वास मे लेकर टप्पेबाजी करते है। मैं गरीब आदमी हूं तथा अपना खर्चा चलाने शौक पूरा करने के लिए टप्पेबाजी जैसी घटना अपने साथी के साथ मिलकर करता हू। आज भी हम लोग घटना कारित करने वाले थे लेकिन आप लोगो ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. राजनारायण उर्फ बुद्ध पुत्र स्व० महंगू राम निवासी धनीपुर थाना बरसठी जनपद जौनपुर उम्र करीब 48 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद पासबुक सेन्ट्रल बैंक, कागज के फर्जी नोट, व टप्पेबाजी के 6120/- रुपये

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह कां0 विकाश बाबू, का0 सलोने, का0 मुकेश कुमार, का0 मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.02.2026
थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त 01 अदद DBBL GUN 12 बोर बरामद।

अभियुक्त को थाना हथिगवां पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मातादीन पुरवा विसहिया गेट के पास लखनऊ–प्रयागराज नेशनल हाईवे के किनारे से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11.02.2026 को वादी निवासी ग्राम कबीरपुर पोस्ट बिसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ अपने घर के सामने बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी आरोपी द्वारा पुरानी ईर्ष्या रखते हुए दो नाली बंदूक लेकर आया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से वादी पर फायर कर दिया। वादी द्वारा बचाव करने पर गोली दीवार से टकरा गई, तत्पश्चात आरोपी द्वारा एक अन्य राउंड हवाई फायर किया गया। इस संबंध में थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 23/2026 धारा 109 (1)/352 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना हथिगवां के उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार, म0उ0नि0 राखी सिंह, व का0 आशीष तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 23/2026 धारा 109 (1)/352 बीएनएस थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, 01अश्विनी मिश्र पुत्र रामकृष्ण मिश्र निवासी ग्राम कबीरपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत मातादीन पुरवा विसहिया गेट के पास लखनऊ–प्रयागराज नेशनल हाईवे के किनारे से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अश्विनी मिश्र पुत्र रामकृष्ण मिश्र निवासी ग्राम कबीरपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद DBBL GUN 12 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार, म0उ0नि0 राखी सिंह, व का0 आशीष तिवारी थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।